COURT FEE भारत INDIA चार रुपये FOUR RUPEES

COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

COURT FEE INDIA दस रुपये TEN RUPEES

169

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2000पुनर्विलोकन

निग - 1055-III/2000

1- कैलाशचंद उर्फ कैलाश शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा
आयु 21 वर्ष जाति ब्राहमण व्यवसाय काश्तकारी
निवासी ग्राम कुटरावली तहसील कैलारस जिला मुरैना म.प्र.

2- अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा आयु 22 वर्ष
जाति ब्राहमण व्यवसाय काश्तकारी निवासी ग्राम कुटरावली
तहसील कैलारस जिला मुरैना म.प्र.

---आवेदकगण

वि रू द्ध

1- हेमन्त उपाध्याय पुत्र श्री मुन्नालाल उपाध्याय
निवासी नई बस्ती कांचमील बिरलानगर ग्वालियर म.प्र.

--अनावेदक

2- महिला कम्मोदा विधवा पत्नी श्री रामगोपाल
जाति ब्राहमण निवासी तिलोखरि तहसील जौरा
जिला मुरैना म.प्र.

--पूरक अनावेदक,

(Rajesh Singh Chauhan) Adv.

पुनर्विलोकन पत्र विरूद्ध श्रीमान्जी के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 1086-चतुर्थ/98 निगरानी आदेश दिनांक 19.1.2000 अन्तर्गत धारा 51 मध्यप्रदेश भू. राजस्व संहिता.

श्रीमान्जी,

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र निम्नांकित प्रस्तुत है :-

- प्रकरण के तथ्य -

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस भांति है कि ग्राम कुटरावली में भूमि सर्वे क्रमांक 49, 71, 86 कुल किता 3 रकवा 6 बीघा 10 बिस्वा स्थित है। उक्त विवादित भूमि की भूमि स्वामी व आधिपत्यधारी विधिक रूप से महिला कम्मोदा थी। लेकिन वसीयतकर्ता मृतक कांशीबाई द्वा

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1055–तीन/2000 जिला–मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
19.9.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री पी0 के0 तिवारी. अनावेदक कमांक–1 की और से अधिवक्ता श्री एस0 के0 वाजपेयी उपस्थित. शेष अनावेदक एकपक्षीय. उभय पक्ष के तर्क श्रवण किये गये. 2. यह पुनरावलोकन आवेदन राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश के निगरानी प्रकरण कमांक 1086–चार/1998 में पारित आदेश दिनांक 19–01–2000 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है. 3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्रम कुटरावली में भूमि सर्वे कमांक 49, 71, 86 कुल किता 6 बीघा 8 बिस्वा की भूमिस्वामी मृतक रामचरण थे। जिसकी वैद्य वारिस कम्मोदा थी जिस पर मोजा पटवारी से मिलकर काशीबाई द्वारा आधे भाग पर अपना नाम अंकित करा लिया जिसको बाद में अनावेदक कमांक–1 के पक्ष में काशीबाई द्वारा वसीयत कर दिया गया, पश्चात तत्पश्चात महिला कम्मोदा द्वारा भी आवेदक कमांक –1 एवं 2 के पक्ष में आधे भाग का विक्रय पत्र संपादित कर दिया, जिसकी जानकारी होने पर अनावेदक कम्मोदा कमांक–2 ने तहसील में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो	अ

दिनांक 2–5–1992 को स्वीकार किया जाकर कम्मोदा को वैद्य वारिस (बहन) होने से नामान्तरण किया गया. तहसील आदेश के विरूद्ध अपील एस0 डी0 ओ0 के समक्ष काशीबाई द्वारा की गयी जो दिनंक 18–7–1994 को स्वीकार की गयी . एस0 डी0 ओ0 के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक–2 द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो स्वीकार की गयी. अपर– आयुक्त के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक–1 द्वारा पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 19–1–2000 को स्वीकार किया गया. उक्त आदेश के विरूद्ध यह पुनरावलोकन प्रस्तुत किया गया है.

4. आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्को में पुनरावलोकन आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यो एवं उसके समर्थन में लिखित तर्क प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में विवादित भूमि के भूमि स्वामी रामचरण की मृत्यु होने पर उसकी बहन कम्मोदा का वारिसान के आधार पर नामान्तरण दिनांक 07–10–1990 को किया गया. मृतक की भूमि पर काशीबाई द्वारा भी समान भाग पर अपना नाम अंकित करा लिया. जिसकी जानकारी होने पर कम्मोदा ने तहसील में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया गया. उक्त आदेश को अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 31–10–1994 द्वारा स्थिर रखा गया था. माननीय न्यायालय ने अत्यन्त संकीर्ण दृष्णिकोण अपनाते हूए एवं

अभिलेख को देखे बिना विवादित आदेश पारित किया गया है. माननीय न्यायालय के समक्ष अनावेदक की निगरानी अत्यन्त समयबाधित थी उनके द्वारा जो आधार उठाये गये थे वे पूर्णतः विधि विपरीत थे. जिनको मानने में त्रुटि हुई है. अपर आयुक्त ने अपने आदेश में सभी विधिक बिन्दुओं का निराकरण करते हूए सकारण आदेश पारित किया था. जो कि न्यायोचित आदेश था ऐसे आदेश को निरस्त करने में गंभीर त्रुटि की गयी है. जिसे स्थिर नही रखा जा सकता है. अतः यह पुनरावलोकन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाये.

5. अनावेदक कमांक–1 के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में बताया कि प्रकरण में विवादित भूमि के भूमिस्वामी रामचरण की मृत्यु होने पर दिनांक 7–10–1990 को महिला कम्मोदा एवं महिला काशीबाई दोनो का नामान्तरण स्वीकार किया गया. उक्त नामान्तरण को महिला कम्मोदा अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वार चुनौती न देने के कारण वह अंतिम हो गया. नामान्तरण के डेढ वर्ष बाद उक्त नामान्तरण संशोधित करने का आवेदन पत्र दिया गया था. तहसील न्यायालय ने उक्त कार्यवाही में काशीबाई को कोई व्यक्तिगत सूचना नही दी गयी और काशीबाई का नाम कम कर दिया गया. काशीबाई ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसीलदार अपने पूर्व आदेश में घारा–32 के

अन्तर्गत संशोधन नही कर सकते है. अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त अपील को स्वीकार किया गया. अपर आयुक्त के समक्ष अपील में काशीबाई को कोई सूचना नही दी गयी. काशीबाई को भेजे गये सूचना पत्र में फर्जी अंगूठा लगाकर उसे एकपक्षीय कर आदेश पारित किया गया . जिसकी जानकारी काशीबाई को अपने जीवनकाल में नही हुई. मौके पर विवाद उत्पन्न होने पर काशीबाई के उत्तराधिकारी अनावेदक कमाकं –1 द्वारा अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल के समक्ष कार्यवाही की गयी . राजस्व मण्डल ने प्रकरण की परिस्थितियों एवं अभिलेख का अवलोकन करने के उपरान्त अपर आयुक्त के आदेश को निरस्त किया गया है. आदेश में ऐसे कोई त्रुटि नही है जिससे पुनरावलोकन में निरस्त किया जाये. पुनरीक्षण में आदेश के पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जाकर अनावेदक के हित में आदेश पारित किये गये है जो राजस्व मण्डल तक स्थिर है. ऐसी स्थिति में जहां कार्यवाही किसी पक्ष को समुचित सुनवायी का अवसर दिये बिना विचाराधिकार रहित सम्पादित की गयी हो वहॉ समयावधि अथवा अन्य तकनीकी आधारो पर उसे स्थिर नही रखा जा सकता है. अतः पुनरावलोकन आवेदन पत्र में कोई बल न होने से उसे निरस्त किया जाये तथा राजस्व मण्डल का पुनरीक्षण प्रकरण मे पारित आदेश यथोचित होने से

उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाये.

6. मेरे द्वारा उभय पक्षों के तर्को एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया . अभिलेख के अवलोकन एंव उभयपक्षों के अभिभाशकों के तर्को के आधार पर में यह पाता हूँ कि ग्राम कुटवाली स्थित भूमि सर्वे कमांक 49. 71 एवं 86 कुल रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा के भूमिस्वामी रामचरण थे. मृतक भूमिस्वामी रामचरण की मृत्यु होने पर उसके कोई पुत्र पुत्री अथवा बेवा न होने के कारण उसकी एकमात्र बहन कम्मोदा का नामान्तरण होना चाहिये था. तहसीलदार द्वारा पटवारी द्वारा की गयी त्रुटि को सुधार करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर इश्तहार जारी किया गया तथा आपत्ति प्राप्त न होने पर आदेश दिनांक 7–10–1990 को संशोधित करने का आदेश दिया गया. तहसीलदार को अधिकार है कि वह उसके समक्ष आयी त्रुटि को सुधार करे. तहसीलदार के न्यायालय में पटवारी के कथन भी अंकित किये गये तदोपरान्त ही समस्त प्रकिया को अपना कर केवल कम्मोदा का नाम अंकित करने का आदेश दिनांक 2–5–1992 को प्रदान किया गया. अनुविभागीय अधिकारी ने तथा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों को अनदेखा किया गया है. किसी भी त्रुटि को अधतन नही रखा जा सकता है. तहसीलदार को धारा–32 के अन्तर्गत अन्तर्निहित शक्तियों का

प्रयोग कर ऐसी त्रुटि को सुधार करने एवं तदनुसार अभिलेख को संघारण करने का अधिकार प्राप्त है. अन्यथा ऐसी त्रुटि सदैव विद्यमान रहेगी तथा पक्षकारों के हितों को प्रभावित करती रहेगी. प्रकरण में कम्मोदा मृत भमि़स्वामी की एक मात्र विधिक उत्तराधिकारी होना प्रमाणित है क्योंकि वह उसकी बहन है. ऐसी स्थिति मौसी काशीबाई का नाम अंकित किया जाना त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है ऐसी त्रुटि को सुधार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है. मण्डल द्वारा अपने आदेश में उक्त प्रकिया को निरस्त करने मे जो कारण दर्शाये है कि अनावेदक को समुचित सुनवायी आदि अथवा समुचित ढंग से इश्तहार आदि का प्रकाशन नही किया गया है, जबकि पेरा न0 4 लिखित बहस माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 19.1.2000 के पेज न0–5 में प्रथम पैरा में यह माना है कि तहसील न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 2.5.1992 पारित करते समय सूचना तहसील न्यायालय के बोर्ड पर चस्पा की गई तथा एक प्रति ग्राम के सार्वजनिक स्थान पर चस्पा की गई है। लेकिन इस बात को नहीं माना है कि ढोडी पीटकर सूचना दी गई लेकिन इस तथ्य की पुष्टि किस दस्तावेज से होती है ऐसा वर्णित नहीं किया गया है लेकिन वास्तविकता यह है कि ढोडी पिटवाने का मुख्य उददेश्य सार्वजनिक रूप से सूचना देना होता है जबकि सूचना की एक प्रति सार्वजनिक

स्थल पर चस्पा की गई, तब उन्हे समस्त कार्यवाही को निरस्त करते हुए प्रकरण को प्रत्यावर्तित करना चाहिये था. ऐसा न करने में भी त्रुटि हुई है. इस कारण से मैं विवादित आदेश को उचित होना नही पाता हूँ. यदि स्वत्व सम्बन्धी कोई विवाद है तो उसके लिये सिविल न्यायालया में कार्यवाही की जा सकती है.

उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण कमाक 1086–चार/1998 में पारित आदेश दिनाक 19–01–2000 निरस्त किया जाता है. अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 30–4–1994 स्थिर रखा जाता है. यह पुनरावलोकन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है. उभय पक्ष सूचित हो. अधिनस्थ न्यायालाय का अभिलेख वापस भेजा जाये तदोपरान्त अभिलेख दाखिल रिकार्ड किया जाये।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य